न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 84/2023 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
कलाराम पुत्र डूंगराराम जाति सुथार, निवासी बीसुकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. नखताराम पुत्र डूंगराराम जाति सुथार, निवासी बीसुकला तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 :– श्री बालाराम गोदारा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 07.07.2023

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम सवाईपुर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 514/451 रकबा 12.6424 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है एवं विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 451 रकबा 12.6424 हैक्टेयर आये हुए है। उक्त विवादित आराजी मूल खसरा नम्बर 451 का भाग थी, जो पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से विभाजन होने से नये खसरो का सृजन हुआ है। उक्त विवादित आराजी में सहमति विभाजन होने पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर नहीं जाकर कैम्प में ही नक्शा तैयार करने से मौका स्थिति एवं विभाजन के नक्शे में एकरूपता नहीं है। वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा काश्त एवं निर्माण कार्य विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में आया हुआ होने से जब विप्रार्थी संख्या 2 को त्रूटिपूर्ण तरमीम से अवगत करवाया तो उसके द्वारा तरमीम दुरस्त करवाने हेतु सहमति प्रदान की गई है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् के खेतों में मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर माफिक कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबाली जवाब पेश करते हुए उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार पूर्व में तरमीम आपसी सहमति के विभाजन प्रस्ताव अनुसार नहीं की गई है एवं मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' में वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। साथ ही तरमीम दुरस्ती बाबत प्रभावित खसरा के खातेदारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा लट्ठा नक्शा में विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है तथा खातेदारान् द्वारा भी मौके पर उपस्थित होकर संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

...ती बाबत् सहमति प्रदान की जाकर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ किये गये है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सवाईपुर, पटवार मण्डल धारवीखुर्द तहसील शिव के खसरा नम्बर 514/451, 451 रकबा क्रमशः 12.6424, 12.6424 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 07.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner